क्रम-संख्या---56

रजि० नं० एल० डब्ल्यू०/एन० पी० 693
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 16 मार्च, 1999

फाल्गुन 25, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 623/सत्रह-वि-1-1 (क)-1-1999

लखनऊ, 16 मार्च, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति संशोधन विधेयक, 1999 पर दिनांक 16 मार्च, 1999 को अनुमति प्रदान की और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 24 दिसम्बर, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में,—

(क) उपधारा (3) में,—

(एक) प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1998" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1999" रख दिये जायेंगे;

(दो) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात्, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण निबन्धक द्वारा नियत किये गये दिनांक को निर्वाचन कराया जाना कठिन हो गया है, वहां वह निबंधक को निर्वाचन स्थगित करने का निदेश दे सकेगी और उस पर निबंधक निर्वाचन स्थगित करेगा और निर्वाचन के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाहियां सभी प्रकार से नये सिरे से प्रारम्भ की जायेंगी।"

(ख) उपधारा (7) में शब्द "एक वर्ष", प्रतिबन्धात्मक खण्ड को सम्मिलित करते हुए जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "अट्ठारह माह" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गणेश शंकर पाण्डेय,
विशेष सचिव।

No. 623 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 1-1999

Dated Lucknow, March 16, 1999

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahkari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 16, 1999 :—

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1999

(U. P. Act No. 6 of 1999)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1999.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 24, 1998.

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act,— Amendment of section 29 of U.P. Act no. 11 of 1965

(*a*) in sub-section (3),—

(*i*) in the proviso *for* the word and figures "December 31, 1998" the word and figures, "December 31, 1999" shall be *substituted*;

(*ii*) *after* the existing proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely:—

"Provided further that where the State Government is satisfied that circumstances exist which render it difficult to hold the election on the date fixed by the Registrar, it may direct the Registrar to postpone the election, and thereupon the Registrar shall postpone the election, and all proceedings with reference to the election shall be commenced a fresh in all respects."

(*b*) in sub-section (7) *for* the words "one year" wherever occurring including the proviso, the words "eighteen months" shall be *substituted*.

3. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Ordinance, 1998 is hereby repealed. Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance reffered to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. S. PANDEY,
Vishesh Sachiv.

पी० एस० यू०पी०—ए० पी० 280 सा० (विधा०)—(2435)—1999—850 (मैक०)।